हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 सितम्बर, 2010

संख्या, 2/6/96 आर-II.-- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24), की धारा 38, 39, 41 तथा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या का०आ० 78/ह०अ० 24/1973/धा० 38, 39, 41 तथा 257/2010 दिनांक 7.07.2010, के संदर्भ में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :--

नियम

- 1. (1) ये नियम हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्ते) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।
 - (2) ये नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सेवाओं को लागू होंगे।
 - (3) ये नियम सभी नगरपालिकाओं को लागू होंगे।
- 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

परिभाषाएँ।

- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) ;
- (ख) 'प्रशासकीय सिचव'' से अभिप्राय है, वितायुक्त एवं प्रधान सिचव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ;
- (ग) ''परिशिष्ट'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट ;
- (घ) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ;
- (ङ) ''उपायुक्त'' से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिला उपायुक्त ;
- (च) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा ;
- (छ) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो
- (ज) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (झ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-
 - (i) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ; या
 - (ii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ;
- (ञ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,-
 - (i) भारत में किसी राज्य में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय या संस्था ; अथवा
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या
 - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो :
- (ट) 'धारा' से अभिप्राय है, अधिनियम की कोई धारा ;
- (ठ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, राज्य स्तर और जिला स्तर की नगरपरिषद्⁄नगरपालिका सेवा।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) में दिए गए हैं।

भाग-।।

सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप। 3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तनिर्हित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, न हो,-अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलाबी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्त्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हो, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का न हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पर्दो पर नियुक्ति प्रशासकीय सचिव/निदेशक/उपायुक्त द्वारा की जायेगी।

अर्हताए।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निर्हताएं।

- 8. कोई भी व्यक्ति,-
 - (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है : या
 - (ख) जिसने पित /पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,-

भर्ती का ढंग।

राज्य स्तर के पद

- (i) कार्यकारी अभियन्ता की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% नगरपालिका अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) कार्यकारी अधिकारी की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% सचिव, नगरपरिषद् में से पदोन्नति द्वारा ;
- (iii) सचिव, नगरपरिषद् की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% सिचव, नगरपालिका सिमिति या कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्) या कर अधीक्षक (नगरपरिषद्) में से पदोन्नित द्वारा ;
- (iv) सचिव, नगरपालिका समिति की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% अधीक्षक (नगरपालिका सिमिति) या लेखाकार में से पदोन्नित द्वारा ;
- (v) नगरपालिका अभियन्ता की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से पदोन्नित द्वारा ;
- (vi) सहायक नगर योजनाकार की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) किसी भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार बोर्ड निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (vii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की दशा में,-
 - (क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 20% भवन निरीक्षक, प्रारूपकार, भूमि अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ;
- (viii)कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% विद्युत निरीक्षक में से पदोन्नित द्वारा ;
- (ix) कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्) की दशा में,-
 - (क) सहायक / वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (x) कर अधीक्षक, (नगरपरिषद्) की दशा में,-

- (क) कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या कर निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (xi) कर अधीक्षक, नगरपालिका (सिमिति) की दशा में,-
 - (क) कर निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (xii) लेखाकार की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;
- (xiii)मुख्य सफाई निरीक्षक की दशा में,-
 - (क) सफाई निरीक्षक में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (xiv)मुख्य प्रारूपकार की दशा में,-
 - (क) प्रारूपकार में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

जिला स्तर के पद

- (i) भवन निरीक्षक की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ii) भूमि अधिकारी की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (iii) प्रारूपकार की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (iv) सहायक की दशा में,-
 - (क) लिपिक/आशुलिपिक में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (v) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नित द्वारा ;

- (vi) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ;
- (vii) चालक की दशा में,-
 - (क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 20% सेवादार, चौकीदार, माली-कम-चौकीदार तथा ट्रैक्टर चालक में से पदोन्नति द्वारा

(viii)उद्यान पर्यवेक्षक की दशा में,-

- (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ख) 50% मुख्य माली में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ix) पुस्तकाध्यक्ष की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (x) विद्युत निरीक्षक की दशा में,-
 - (क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 20% विद्युतकार में से पदोन्नित द्वारा ;
- (xi) कर निरीक्षक की दशा में,-
 - (क) लिपिक में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (xii) सफाई निरीक्षक की दशा में,-
 - (क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 20% सफाई दरोगा में से पदोन्नति द्वारा ;
- (xiii)आशुटंकक की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार बोर्ड निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (xiv) लिपिक की दशा में,-
 - (क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 20% सेवादार/ मुख्य माली/माली-कम-चौकीदार/चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ;
- (xv) विद्युतकार की दशा में,-
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार बोर्ड निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (xvi)ट्रैक्टर चालक की दशा में,-
 - (क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 - (ख) 50% सफाई दरोगा/सफाई कर्मचारी में से पदोन्नति द्वारा ;

(xviii) पटवारी की दशा में,---

- (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xix) सेवादार की दशा में,----

- (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xx) मुख्य माली की दशा में,—

- (क) माली-कम-चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xxi) माली-कम-चौकीदार की दशा में,----

- (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xxii) चौकीदार की दशा में,---

- (क) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नंतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, जब भी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होनी है, तो नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी।
- 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अविध के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,----

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अविधिपरिवीक्षा अविधि के रूप में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अविध के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

परिवीक्षा ।

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसको उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,-
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,-
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अविध संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,-
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अविध बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अविध की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अविध जिसमें बढ़ाई गई अविध भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।
परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ,
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ऐसी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ;
 - (2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,-
 - (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है ; अथवा
 - (iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले। 13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएँ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें। 14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप तो लगायी जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ध' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' तथा 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनि-उा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सम्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहाँ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1982, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन पारित किये गये कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई को इन नियमों के अनुरूप, उपबन्धों के अधीन किये गए आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

		<u>.</u>	(पाखय 17			
क्रम संक्रम	पदनाम	TOTAL	पदों की संख्या	~	अनुरूप वेतन के न	अनुरूप ग्रेड
संख्या		स्थाई	अस्थाई	ज <u>ा</u> ड़	बैंड	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
			राज्य स्तर	के पद		
1.	कार्यकारी अभियन्ता	23	• •	23	15600-39100	6000
2.	कार्यकारी अधिकारी	23		23	9300-34800	5400
3.	सचिव, (नगरपरिषद्)	23	• •	23	9300-34800	4000
4.	सचिव, (नगरपालिका)	51	• •		9300-34800	3600
5.	नगरपालिका अभियन्ता	99	• •	99	9300-34800	5400
6.	सहायक नगर योजनाकार	23	• •	23	9300-34800	5400
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	145	••	145	9300-34800	3600
8.	कनिष्ट अभियन्ता (विद्युत)	5	• •	5	9300-34800	3600
9	कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्)	8	• •	8	9300-34800	3600
10.	कर अधीक्षक (नगरपरिषद्)	20	• •	20	9300-34800	3600
11.	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति)	5	• •	5	9300-34800	3200
12.	लेखाकार	76	• •	76	9300-34800	3200
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक	20	• •	20	9300-34800	3200
14.	मुख्य प्रारूपकार	5	• •	5	9300-34800	3200
			जिला स्तर	के पद		
1.	भवन निरीक्षक	67	• •	67	9300-34800	3200
2.	भूमि अधिकारी	3	• •	3	9300-34800	3200
3.	प्रारूपकार	6	• •	6	9300-34800	3200
4.	सहायक	24		24	9300-34800	3200
5.	वरिष्ट वेतनमान आशुलिपिक	4	• •	L,	9300-34800	3200
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	2	• •	2	5200-20200	2400
7.	चालक	19	• •	19	5200-20200	2400
8.	उधान पर्यवेक्षक	5	• •	5	5200-20200	2400
9.	पुस्तकाध्यक्ष	15	• •	15	5200-20200	2400
10.	विधुत निरीक्षक	16	• •	16	5200-20200	2400
11.	कर निरीक्षक	21	• •	21	520G-20200	2400
12.	सफाई निरीक्षक	67	• •	67	5200-20200	2400
13.	आशुटंकक	14	• •	14	5200-20200	1900
14.	लिपिक	519	• •	519	5200-20200	1900
15 .	विद्युतकार	9	• •	9	5200-20200	1900
16.	ट्रैक्टर चालक	93	• •	93	5200-20200	1900
17.	पटवारी	9	••	9	5200-20200	1900
18.	सेवादार	390	• •	390	4440-7440	1300
19.	मुख्य माली	10		10	4440-7440	1300
20.	माली-कम-चौकीदार	391	• •	391	4440-7440	1300
21	चौकीदार	20	• •	20	4440-7440	1300

10 कर अधीक्षक (नगरपरिषद्)

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम ७)

क्रम संख्य	पद नाम		सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2		3	4
राज्य	स्तर के पद			
1	कार्यकारी अभियन्ता	(i)	अभियांत्रिकी (सिविल) में डिग्री;	पदोन्नति द्वारा
		(ii)	उप-मण्डल अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;	 (i) अभियांत्रिकी (सिविल) में डिग्री अथवा इसके समकक्ष; (ii) नगरपालिका अभियन्ता (सिविल) के रूप में आठ वर्ष का
		(iii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	अनुभवः
2	कार्यकारी अधिकारी	(i)	किसी विषय में स्नातकोतर या विधि में स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा, जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधि-पत्र हो;	पदोन्निति द्वारा सीचव, नगरपरिषद् के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
3	सचिव, नगरपरिषद्	(i)	स्नातकोतर या प्रथम श्रेणी स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा	पदोन्नति द्वारा
			जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधिपत्र हो;	सचिव, नगरपालिका समिति या कार्यालय अधीक्षक, नगरपरिषद् या कर अधीक्षक, नगरपरिषद् के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
			दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	
4	सचिव, नगरपालिका	(1)	स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधिपत्र हो;	पदोन्नति द्वारा क्य अधिकः (कारणकिकः समिति) मा नेकारास के का में तीन तर्ष
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या लेखाकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;
5	नगरपालिका अभियन्ता	·	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में	पदोन्नति द्वारा
			डिग्री;	सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	दस वर्ष का अनुभवः
6	सहायक नगर योजनाकार	(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
			तथा नगर आयोजना संस्थान (भारत) का सहयुक्त सदस्य होना चाहिए; या	सहायक नगर योजनाकर के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
		(ii)	अभियान्त्रिकी संस्थान (भारत) द्वारा मान्यताप्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या वास्तुकला में डिग्री; तथा अर्हक नगर योजनाकार के अधीन कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए;	
		(iii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	
7	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा;	पदोन्निति द्वारा भवन निरीक्षक / भूमि अधिकारी / प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	का अनुभव ।
8	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत	(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा;	पदोन्नति द्वारा विद्युव निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव!
		(ii)	दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
9	अधीक्षक (नगरपरिषद्)			पदोन्नति द्वारा
	· •			पदोन्नित द्वारा सहायक या मुख्य लिपिक तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में दो वर्ष का सहायक के रूप में अनुभव होना अनिवार्य है; या
				स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
				अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर सात वर्ष का अनुभव।

पदोन्नति द्वारा

नगरपालिका समिति में कर अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव

या नगरपरिषद् में कर निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव; या

<u> </u>		
2	3	4
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		अधीक्षक के पद पर एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर सात वर्ष का अनुभव।
 कर अधीक्षक (नगरपालि 	का स मिति) —	पदोन्नति द्वारा
		कर निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; या
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		कर अधीक्षक के पद पर एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव।
2 लेखाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कॉम या इसके	पदोन्नति द्वारा
	समकक्षः; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	लिपिक जिसने नगरपालिका लेखाकारों हेतु विहित विभागीय परीक्षा पार की हो।
3 मुख्य सफाई निरीक्षक	——————————————————————————————————————	पदोन्नति द्वारा
3 301 (11/14 11/14)		सफाई निरीक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; या
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		मुख्य सफाई निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
4 मुख्य प्रारूपकार		पदोन्नति द्वारा
301211111		प्रारूपकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव;
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		मुख्य प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
	जिला स्तरीय पद	
. भवन निरीक्षक	ं । जला रताराय पप (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा;	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
. भवन । नरावक	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान!	भवन निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
2. भूमि अधिकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा;	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
८. भूम जायकारा	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	भूमि अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
) ITESTICATO	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार में डिप्लोमा;	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
3. प्रारूपकार	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान!	प्रारूपकार के रूप में दो दर्ष का अनुभव ।
4 TISTICSE	(11) प्रापा पा उच्या सायतः ना विष्यार रारपूरा का सान ।	पदोन्नति द्वारा
4. सहायक		लिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव आशुटंकक की दशा में लिपिक के पद पर दो वर्ष का अनुभ होना चाहिए;
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
 वरिष्ठ वेतनमान 	(i) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति	पदोन्नति द्वारा
आशुलिपिक	मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी∕संस्कृत का ज्ञान।	
6. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 80 शब्द प्रति मिनट की गित से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गित से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गित से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गित से उसका प्रतिलेखन;	आश्टंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	•
7. चालक	(i) भारी या हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस;	पदोन्नति द्वारा
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	भारी या हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित सेवादार, चौकीदा माली-कम-चौकीदार तथा ट्रैक्टर चालक के पद पर पांच वर्ष व

1 2	3	4
8. उद्यान पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से होर्टिक्लचर में डिप्लोमा ;	पदोन्नति द्वारा
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	मुख्य माली के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
9. पुस्तकाध्यक्ष	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा;	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	पुस्तकाध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
10. विद्युत निरीक्षक	(i) आई.टी.आई. से इलैक्ट्रिशयन का डिप्लोमा	पदोन्नति द्वारा
	(ii) नुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा द्वारा आयोजित इलैक्ट्रिकल सुपरवाईजर की परीक्षा पास की गई हो।	विद्युतकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभद।
	(iii) दसवी या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	
11 कर निरीक्षक		पदोन्नति द्वारा
		लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		कर निरीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
12. सफाई निरीक्षक	(i) राफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा;	पदोन्नति द्वारा
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	सफाई दरोगा के रूप में दस वर्ष का अनुभव ।
13. आशुटंकक	(1) 54 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
	मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;	आशुटंकक के पद पर दो वर्ष का अनुभव।
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
14. लिपिक	(i) हिन्दी/संस्कृत सहित दसवीं या उच्च शिक्षा।	पदोन्नति द्वारा
		हिन्दी/संस्कृत सहित दसवीं होना चाहिए तथा सेवादार/मुख्य माली/ माली-कम-चौकीदार/चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
15. विद्युतकार	(i) आई.टी.आई. से विद्युतकार में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
	विद्युतकार का प्रमाण-पत्र;	विद्युतकार के पद पर दो वर्ष का अनुभव।
	(ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	
16. ट्रैक्टर चालक	(i) हल्का या भारी वाहन चालक लाईसैन्स सहित आठवीं।	पदोन्नति द्वारा
		सफाई दरोगा के रूप में पांच दर्य या सफाई कर्मचारी के रूए में दस वर्ष का अनुभव; तथा हल्का या भारी वाहन चालक लाईसैन्स रखता हो।
17. पटवारी	(i) पटवारी की परीक्षा पास की हो;	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
	(ii) दसवीं या उच्चा शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	पटवारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
18. सेवादार	आठवीं पास हिर्न्दा⁄संस्कृत का ज्ञान।	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		सेवादार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
19. मुख्य माली		पदोन्नति द्वारा
		माली के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो तथा आठवीं पास हो;
		स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		मुख्य माली के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
20. माली-कम-चौकीदार	हिन्दी सहित आठवीं पास तथा बागवानी में एक वर्ष का अनुभव।	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		माली-कम-चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
21. चौकीदार	हिन्दी सहित आठवीं पास।	स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा
		चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग (देखिये नियम 14)

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी		शास्ति का स्वरूप ं	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3		4	5	6
1.	कार्यकारी अभियन्ता	प्रशासकीय सचिव		शास्तियां	निदेशक	प्रशासकीय सचिव
2.	कार्यकारी अधिकारी		(i)	वैयंदितक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति		
3.	सचिव (नगरपरिषद्)			रखते हुये चेतावनी;		
4.	सचिव (नगरपालिका समिति)		• •	परिनिन्दा;		
5 .	नगरपालिका अभियन्ता		, ,	पदोन्नति रोकना;		
6.	सहायक नगर योजनाकार		(1V)	उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी		
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)निदेशक			कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय,		
8.	कनिष्ठ अभियन्ता, (विद्युत)			चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसकी पूर्ण		
9.	कार्यालय अधीक्षक			या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार		
10.	कर अधीक्षक, (नगरपरिषद्)	निदेशक		के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी		
11.	कर अधीक्षक, (नगरपालिका समिति)			स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को		
12.	लेखाकार			हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके		
	मुख्य सफाई निरीक्षक			भाग की वेतन से वसूली;		
14	मुख्य प्रारूपकार			संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना		
			•	शास्तियां		
1	कार्यकारी अभियन्ता			संचयी प्रभाव सिहत वेतन वृद्धियां रोकना;	प्रशासकीय सचिव	सरकार
2.	कार्यकारी अधिकारी		(vii)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे		
3.	सचिव (नगरपरिषद्)		अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या			
4.	सचिव (नगरपालिका समिति)	प्रशासकीय सचिव				
5.	नगरपालिका अभियन्ता					
6	सहायक नगर योजनाकार			नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन		
7.	किरष्ठ अभियन्ता (सिविल)	निदेशक		वृद्धियां स्थिगित करने का प्रभाव रखेगी	निदेशक	प्रशासकीय सचिव
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)			या नहीं ;		
9.	कायालय अधीक्षक		(viii)) निम्नतर वेतन, ग्रेड, पद या सेवा पर,		
10.	कर अधीक्षक, (नगरपरिषद्)			ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के		
11.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,)		उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था,		
12 .	लेखाकार			पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी,		
	मुख्य सफाई निरीक्षक		ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से			
				सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी		
17.	मुख्य प्रारूपकार			ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर		
				वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त		
				निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा;		
			(ix)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
			(x)	सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;		
			(xi)	सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता		

21.

6 जिला स्तरीय सेवाएं छोटी शास्तियां कार्यकारी अधिकारी / सचिव भवन निरीक्षक (i) वैयक्तिक फाईस(आचरण पंजी) पर प्रति उपायुक्त उपायुक्त (नगरपरिषद्)/ सचिव रखते हुये चेतावनी; भूमि अधिकारी (नगरपालिका) (ii) परिनिन्दा; प्रारूपकार सहायक पदोन्नति रोकनाः वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक सरकार या राज्य सरकार को ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह चालक नियमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या उद्यान पर्यवेक्षक अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पुस्तकाध्यक्ष पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल विधुत निरीक्षक के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय कर निरीक्षक प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन 12. सफाई निरीक्षक संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की आशुटंकक वेतन से वसूली; लिपिक (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; 15. विद्युतकार 16. ट्रैक्टर चालक पटवारी सेवादार 19. मुख्य माली माली -कम-चौकीदार 21. चौकीदार बड़ी शास्तियां भवन निरीक्षक (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना; निदेशक (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में भूमि अधिकारी निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त ड्राफ्टसमैन निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी सहायक ऐसी अवनात की अवधि के दौरान देतन वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव चालक रखेगी या नहीं ; उद्यान पर्यवेक्षक (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, पुस्तकाध्यक्ष ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस दिधुत निरीक्षक तमय पर जिससे वह वेतनमान ग्रेड, पद या कर निरीक्षक सेवा अवनत किया गया था, एदोन्नित के सफाई निरीक्षक लिये साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, आशुटंकक पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत 14. लिपिक किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड,पद या सेवा विद्युतऋर पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त 16. ट्रैक्टर चालक निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा । पटवारी (ix) अनिवार्य सेवा निवृति; सेवादार 18. (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन मुख्य माली भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; माली -कम-चौकीदार तथा चौकीदार

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी

नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।

परिशिष्ट'घ'

(देखिये नियम 14 (2))

क्रम संख्या	पदनाम राज्य स्तरीय पद		आदेशों का स्वरूप	आदेश जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2		3	4	5
1.	कार्यकारी अभियन्ता	(i)	पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे	प्रशासकीय सचिव	सरकार
2.	कार्यकारी अधिकारी		अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी		
3.	सचिव (नगरपरिषद्)		करना या रोकना;		
4.	सचिव (नगरपालिका समिति)	(ii)	सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत		
5 .	नगरपालिका अभियन्ता		आयु से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
6.	सहायक नगर योजनाकार				
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)			निदेशक	प्रशसकीय सचिव
8.	कनिष्ठ अभियन्ता, (विद्युत)				
9.	कार्यालय अधीक्षक		•		
10.	कर अधीक्षक, (नगरपरिषद्)				
11.	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति)				
12.	लेखाकार				
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक				
14.	मुख्य प्रारूपकार				
			जिला स्तरीय सेवाएं		
1.	भवन निरीक्षक	(i)	पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे	उपायुक्त	निदेशक
2.	भूमि अधिकारी		अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी		
3.	प्रारूपकार		करना या रोकना;		
4.	सहायक	(ii)	सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत		
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		आयु से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
7.	चालक				
8.	उद्यान पर्यवेक्षक				
9.	पुस्तकाध्यक्ष				
10.	विद्युत निरीक्षक				
11.	कर निरीक्षक				
12.	सफाई निरीक्षक				
13.	आशुटंकक				
14.	लिपिक				
15.	विद्युतकार				
16.	ट्रैक्टर चालक				
17.	पटवारी				
18.	सेवादार				
19.	मुख्य माली				
	माली -कम-चौकीदार				
21.	चैकीदार				

राज कुमार, वित्तायुक्त एवं प्रधान सन्दिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 24th September, 2010

No. 2/6/96-R-II.—In exercise of the powers conferred by Sections 38, 39, 41 and clause (m) of Sub-section (1) of Section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. S. O. 78/H.A. 24/1973/Ss. 38, 39, 41 and 257/2010, dated 7th July, 2010, the Governor of Haryana is hereby makes the following rules, namely:—

Rules

Short title and applicability.

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Municipal Services (Integration, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010.
 - (2) There shall be State level and district level Services of municipal employees.
 - (3) They shall apply to all the Municipalities.

Definition.

- 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);
 - (b) "Administrative Secretary" means the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department;
 - (c) "Appendix" means an Appendix to these rules;
 - (d) "Commission" means the Haryana Public Service Commission and Haryana Staff Selection Commission;
 - (e) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of the concerned district;
 - (f) "Director" means the Director, Urban Local Bodies, Haryana;
 - (g) "direct recruitment" means an appointment made by selection otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (h) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
 - (i) "institution" means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
 - (j) "recognized university" means,-
 - (i) any university or institution incorporated by law in any State in India; or
 - (ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
 - (iii) any other university or institution which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
 - (k) "section' means any section of the Act;
 - (I) "Service" means the municipal service of State level and district level.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall respectively have the same meaning as assigned to them in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

PART-II

RECRUITMENT TO SERVICE

The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Number and character of posts.

Nationality,

domicile and

character of

persons recruited

to the Service.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

- No person shall be appointed to any post in a Service, unless he is:-
 - a citizen of India; or (a)
 - (b) a subject of Nepal; or
 - a subject of Bhutan; or (c)
 - a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the (d) intention of permanently settling in India; or
 - a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

- A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, Selection Commission, or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the State Government.
- No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.
- No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less Age. than seventeen years or more than forty years of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointment to the posts in the Service shall be made by the Administrative Secretary / Director / Deputy Commissioner.

Appointing Authority

No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of Qualifications. qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped persons, possessing the requisite experience, are not available to fill-up the vacancies, reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,- Disqualifications.

- who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any (b) person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

STATE LEVEL POST

- (1) (i) in the case of Executive Engineer,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Municipal Engineers;
 - (ii) in the case of Executive Officer,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Secretary, Municipal Council;
 - (iii) in the case of Secretary, Municipal Council,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Secretary, Municipal Committee or Office Superintendent (Municipal Council) or Tax Superintendent (Municipal Council);
 - (iv) in the case of Secretary, Municipal Committee,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Tax Superintendent (Municipal Committee) or Accountant;
 - (v) in the case of Municipal Engineer;-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Junior Engineer (Civil);
 - (vi) in the case of Assistant Town Planner,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
 - (vii) in the case of Junior Engineer (Civil),-
 - (a) 80% by direct recruitment; and
 - (b) 20% by promotion from amongst Building Inspector/Land Officer/ Draftsman;
 - (viii) in the case of Junior Engineer (Electrical),-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from Light Inspector;
 - in the case of Office Superintendent (Municipal Council),-
 - (a) by promotion from amongst Assistant / Senior Scale Stenographer; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;

- (x) in the ease of Tax Superintendent (Municipal Council),-
 - (a) by promotion from amongst Tax Superintendent (Municipal Committee) or Tax Inspector; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xi) in the case of Tax Superintendent (Municipal Committee),-
 - (a) by promotion from amongst Tax Inspector; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xii) in the case of Accountant,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Clerks;
- (xiii) in the case of Chief Sanitary Inspector,-
 - (a) by promotion from amongst Sanitary Inspector; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xiv) in the case of Head Draftsman,-
 - (a) by promotion from Draftsman; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation.

DISTRICT LEVEL POST

- (i) in the case of Building Inspector,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (ii) in the case of Land Officer,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (iii) in the case of Draftsman,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;

in the case of Assistants,-

- (a) by promotion from amongst Clerk or Steno-Typist; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;

in the case of Senior Scale Stenographer,-

- (a) 50% by direct recruitment; and
- (b) 50% by promotion from amongst Junior Scale Stenographer;



- (vi) in the case of Junior Scale Stenographer,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Steno-Typist;
- (vii) in the case of Driver,-
 - (a) 80% by direct recruitment; and
 - (b) 20% by promotion from amongst Peon, Chowkidar, Mali-cum-Chowkidar and Tractor Drivers;
- (viii) in the case of Garden Supervisor,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Head Mali;
- (ix) in the case of Librarian,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (x) in the case of Light Inspector,-
 - (a) 80% by direct recruitment; and
 - (b) 20% by promotion from amongst the Electrician;
- (xi) in the case of Tax Inspector,-
 - (a) by promotion from amongst Clerk; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xii) in the case of Sanitary Inspector,-
 - (a) 80% by direct recruitment; and
 - (b) 20% by promotion from amongst Safai Daroga;
- (xiii) in the case of Steno-Typist,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xiv) in the case of Clerk,-
 - (a) 80% by direct recruitment; and
 - (b) 20% by promotion from amongst Peon/Head Mali/Mali-cum-Chowkidar/Chowkidar;
- (xv) in the case of Electrician,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xvi) in the case of Tractor Driver,-
 - (a) 50% by direct recruitment; and
 - (b) 50% by promotion from amongst Safai Daroga / Sweeper;
- (xvii) in the case of Patwari,-
 - (a) by direct recruitment; or

- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
- (xviii) in the case of Peon,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
 - (xix) in the case of Head Mali,-
 - (a) by promotion from Mali-cum-Chowkidar; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
 - (xx) in the case of Mali-cum-Chowkidar,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation;
 - (xxi) in the case of Chowkidar,-
 - (a) by direct recruitment; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India or any other State Government/Board/Corporation.
- (2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- (3) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.
- 10. (1) A person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a Probation period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that -

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of his probation is not satisfactory, it may, -
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment, -
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such a manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, -

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority interse of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disbursed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follow,-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

- 12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana on being ordered so to do by the appointing authority.
 - (2) A member of service may also be deputed to serve under,--
 - (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matter not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, leave, pension and other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- 15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if, it is deemed expedient to do so.

Special Provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Reservation.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

20. The Haryana Municipal Services (Integration, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1982 are hereby repealed:

Repeal and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Name of the Post	N	umber of post	S	Revised Pay Band	Grade Pay	
		Permanent	Temporary	Total	(in rupees)	(in rupees)	
1	2	3	4	5	6	7	
	STATE LEVEL POST						
1	Executive Engineer	23	44.484	23	15600-39100	6000	
2	Executive Officer	23		23	9300-34800	5400	
3	Secretary (Municipal Council)	23		23	9300-34800	4000	
4	Secretary (Municipal Committee)	51		51	9300-34800	3600	
5	Municipal Engineer	99		99	9300-34800	5400	
6	Assistant Town Planner	23		23	9300-34800	5400	
7	Junior Engineer (Civil)	145		145	9300 - 34800	3600	
8	Junior Engineer(Electrical)	5		5	9300-34800	3600	
9	Office Superintendent (Municipal Council)	8		8	9300-34800	3600	
10	Tax Superintendent (Municipal Cou	ıncil) 20		20	9300-34800	3600	
11	Tax Superintendent (Municipal Committee)	5		5	9300-34800	3200	
12	Accountant	76		76	9300-34800	3200	
13	Chief Sanitary Inspector	20	_	20	9300-34800	3200	
14	Head Draftsman	5		5	9300-34800	3200	
	DISTRICT LEVEL POST			•			
1	Building Inspector	67		67	9300-34800	3200	
2	Land Officer	3		3	9300-34800	3200	
3	Draftsman	6	****	6	9300-34800	3200	
4	Assistant	24		24	9300-34800	3200	
5	Senior Scale Stenographer	4		4	9300-34800	3200	
6	Junior Scale Stenographer	2	 -	2	5200-20200	2400	
7	Driver	19	_	19	5200-20200	2400	
8	Garden Supervisor	5	_	5	5200-20200	2400	
9	Librarian	15		15	5200-20200	2400	
10	Light Inspector	16		16	5200-20200	2400	
11	Tax Inspector	21		21	5200-20200	2400	
12	Sanitary Inspector	67		67	5200-20200	2400	
13	Steno-typist	14		14	5200-20200	1900	
14	Clerk	519		519	5200-20200	1900	
15	Electrician	9		9	5200-20200	1900	
16	Tractor Driver	93		93	5200-20200	1900	
17	Patwari	9		9	5200-20200	1900	
18	Peon	390		390	4440-7440	1300	
19	Head Mali	10		10	4440-7440	1300	
20	Mali-cum-chowkidar	391		391	4440-7440	1300	
21	Chowkidar	20		20	4440-7440	1300	

			APPENDIX B (See Rules 7)		
Sr. No.	•	Acad	lemic Qualifications and experience, if any, for direct recruitment	ex	Academic Qualifications and perience, if any, Appointment her than by direct recruitment.
1	2		3		4
	STATE LEVEL				
1.	Executive Engineer	(i)	Degree in Engineering (Civil);	By	promotion :
		(ii)	Five years experience as Sub Divisional Engineer, Assistant Engineer;	(i)	Degree in Engineering (Civil) or its equivalent;
		(iii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	(ii)	Eight years experience as Municipal Engineer (Civil).
2.	Executive Officer	(i)	Post Graduate in any subject or	Ву	promotion :
			Graduate in Law, Preference shall be given to those with Diploma in Higher Officers' Course in the Local Government;		e years experience as Secretary, nicipal Council.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.		
3.	Secretary, Municipal Council	(i)	Post Graduate or 1st Class Graduate, Preference shall be given to those with Diploma in Higher Officers' Course in the Local Government; Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.		promotion :
					e years experience as Secretary nicipal Committee or Office erintendent (Municipal Council) or
		(ii)			Tax Superintendent (Municipal Council
4.	Secretary, Municipal	(i)	Graduate, Preference shall be given to those who have diploma in Higher officer's course in the Local Government;		promotion :
	Committee				ree years experience as Tax perintendent (Municipal Committee) or countant.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.		
5.	Municipal Engineer	(i)	Degree in Civil Engineering or its	By	promotion :
		•	equivalent from any recognized uni- versity/institution;	•	gree in Civil engineering or ten years erience as Junior Engineer (Civil).
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.		
6.	Assistant Town Planner	(i)	A post graduate degree or diploma	•	transfer or deputation :
			in Town Planning from a recognized university / institution and should be Associate member of the Institute of Town Planning (India); or		o years experience as Assistant Town nner.
		(ii)	A degree in Civil Engineering or a degree in Architecture recognized by the Institute of Engineers (India); and should have experience of not less than three years under a qualified Town Planner;		

(iii) Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.

1	2		· · · 3	4
7.	Junior Engineer (Civil)	(i)	Diploma in Civil Engineering from any recognized institution;	By promotion:
;;; 	ggalast 	(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	Five years experience as Buildin Inspector/Land Officer/Draftsman.
8.	Junior Engineer (Electrical)	(i)	Diploma in Electrical Engineering from any recognized institution;	By promotion: Five years experience as Light Inspector
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	Five years experience as Light inspecto
. 	Office Superintendent		——————————————————————————————————————	By promotion :
	(Municipal Council)			Five years experience as Assistant of Senior Scale Stenographer. In case of Senior Scale Stenographer, he should have two years experience as Assistant or
				By transfer or deputation:
				One year experience as Superintendent of seven years experience as Assistant.
10.	Tax Superintendent			By promotion:
	(Municipal Council)			Five years experience as Ta Superintendent in Municipal Committe
				or Ten years experience as Tax Inspecte in Municipal Council.
				By transfer or deputation:
				One year experience as Ta Superintendent and seven year experience as Assistant.
11.	Tax Superintendent			By promotion :
	(Municipal Committee)			Five years experience as Tax Inspector.
				By transfer or deputation :
				One year experience as Ta Superintendent or seven years experience as Assistant.
12.	Accountant	(i)	B.Com. from any recognized univer-	By promotion:
		(ii)	sity or its equivalent. Knowledge of Hindi / Sanskrit upto	Clerks who have passed the department examination prescribed for Municipal Accountants
12	Chief Comitom Inomastas		Matric or Higher education.	By promotion :
IJ,	Chief Sanitary Inspector		□ □ □ □ □ . .	Eight years experience as Sanitar Inspector.
				By transfer or deputation:
				Two years experience as Chief Sanitar Inspector.

1	2		3	4
14	Head Draftsman			By promotion: Seven years experience as Draftsmans. By transfer or deputation:
	DISTRICT LEVEL POSTS			Two years experience as Head Draftsman.
1.	Building Inspector	(i)	Diploma in Civil Engineering from any recognized institution;	By transfer or deputation: Two years experience as Building
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	Inspector.
2.	Land Officer	(i)	Diploma in Civil Engineering from any recognized institution;	By transfer or deputation: Two years experience as Land Officer.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	r we years emperioned as Bana emperior.
3.	Draftsmen	(i)	Diploma of Draftsmanship from any recognized institution.	By transfer or deputation:
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	Two years experience as Draftsman.
4.	Assistant		~~~~	By promotion :
				Five years experience as Clerk or Steno typist. In case of Steno-typist, he should have two years experience as Clerk.
				By transfer or deputation:
				Two years experience as Assistant.
5.	Senior Scale Steno- grapher	(i)	Hindi shorthand speed of 80 words per minute and transcription of 15 words per minute; and	By promotion: Five years experience as Junior Scale
		(ii)	English shorthand speed of 100 words per minute and transcription of 20 words per minute.	Stenographer.
		(iii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
6.	Junior Scale Steno-grapher	(i)	Hindi shorthand speed of 80 words	By promotion:
			per minute and transcription of 15 words per minute and English shorthand speed of 100 words per minute and transcription of 20 words per minute;	Five years experience as Steno Typist.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
7.	Driver	(i)	Heavy or Light Motor Driving Licence;	By promotion:
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	Five years experience as Peon, Chowkidar, Mali-cum-Chowkidar and Tractor Driver with Heavy or Light Motor Driving Licence.

ì	2		3	4
8.	Garden Supervisor	• •	Diploma/Course in Horticulture from any recognized institution;	By promotion: Five years experience as Head Mali.
			Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
9.	Librarian	` '	Diploma in Library Science from any recognized institution;	By transfer or deputation One year experience as Librarian.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
10.	Light Inspector	(i)	Diploma of Electrician from ITI; or	By promotion
		-	Should have passed Electrical Supervisor examination conducted by Chief Electrical Inspector, Haryana;	Five years experience as Electrician.
		(iii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
11	Tax Inspector			By promotion:
	•			Five years experience as Clerk.
				By transfer or deputation:
				One year experience as Tax Inspector.
12	Sanitary Inspector	(i)	Diploma in Sanitary Inspector's course;	By promotion: Ten years experience as Safai Daroga
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
13	. Steno-typist	(i)	Hindi shorthand speed of 64 words per minute and transcription of 11 words per minute and English short- hand speed of 80 words per minute and transcription of 15 words per minute;	By transfer or deputation: Two years experience as Steno typist.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
14	. Clerk		tric or Higher education with Hindi /	By promotion: Should be Matric with Hindi/Sanskrit and
				five years experience as Peon / Head Mali/ Mali-cum-Chowkidar/ Chowkidar.
15	. Electrician	(i)	Diploma of Electrician from ITI; or	By transfer or deputation :
			certificate of Electrician from recog- nized institution;	Two years experience as Electrician.
		(ii)	Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
16	. Tractor Driver		ddle with Heavy or Light Vehicle	By promotion:
		driv	ving licence.	Five years experience as Safai Daroga or ten years experience as Sweeper and having Heavy or Light Vehicle driving licence.

1	2	3	4
17.	Patwari	(i) Should have passed Patwari examination;	By transfer or deputation: Two years experience as Patwari.
	•	(ii) Knowledge of Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher education.	
18.	Peon	Middle Pass with Hindi/Sanskrit	By transfer or deputation :
			Two years experience as Peon.
19.	Head Mali		By promotion:
			Five years experience as Mali-cum- Chowkidar.
			By transfer or deputation:
			Two years experience as Head Mali.
20.	Mali-cum-Chowkidar	Middle pass with Hindi and one year	By transfer or deputation :
		experience of Gardening.	Two years experience as Mali-cum-Chowkidar.
21.	Chowkidar	Middle Pass with Hindi.	By transfer or deputation:
			Two years experience as Chowkidar.

•

APPENDIX C

[See Rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority		Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3		4	5	6
		STATI	E LE	VEL SERVICES		
1.	Executive Engineer	Administrative	1.	MINORPENALITIES	Director	Administrative
2.	Executive Officer	Secretary	(i) waiting with a copy (Secretary
3.	Secretary (Municipal Council)			_		
4.	Secretary (Municipal Committee)		(iii)	withholding of promotion;		
5.	Municipal Engineer		(iv)	recovery from pay of the whole or part of any		
6	Assistant Town Planner			pecuniary loss caused by negligence or		
7.	Junior Engineer (Civil)	•		breach of orders to the Central Government or		
8.	Junior Engineer (Electrical)			a State Government or		
9.	Office Superintendent (Municipal Council)	Director		to a company and association or a body of individuals whether		
10.	Tax Superintendent. (Municipal Council)			incorporated or not, which is wholly or substantially owned or		
11	Tax Superintendent. (Municipal Committee)			controlled by the Government or to a local		
12.	Accountant			authority or university set up by an Act of		
13	Chief Sanitary Inspector		Parliament or of th	Parliament or of the Legislature of a State;		
14	Head Draftsman					
			(v)	withholding of increment of pay without cumulative effect;		
1.	Executive Engineer	Administrative	2.	MAJOR PENALTIES:	Administrative	Government
2.	Executive Officer	Secretary	(vi)	withholding of increment of pay with	Secretary	
3.	Secretary (Municipal Council)		(vii) reduction stage in of pay for direction	cumulative effect; reduction to a lower		
4.	Secretary (Municipal Committee)			stage in the time scale of pay for a specified period, with further		
5.	Municipal Engineer			directions as to whether or not the Government		
6.	Assistant Town Planner			employee will earn increments of pay during the period of		

1	2	3	4	5	6
			such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;		
7.	Junior Engineer (Civil)	Director	(viii) reduction to a lower	Director	Administrative
8.	Junior Engineer (Electrical)		scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the		Secretary
9.	Office Superintendent (Municipal Council)		promotion of the Government employee to the time scale of pay,		
10.	Tax Superintendent (Municipal Council)		grade, post or service from which he was		
11.	Tax Superintendent (Municipal Committee)		reduced, with or without further directions regarding conditions of		
12.	Accountant		restoration to the grade or post of service from		
13.	Chief Sanitary Inspector		which the Government		
14.	Head Draftsman		employee was reduced, and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;		
			(ix) compulsory retirement;		
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;		
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for further employment under the Government.		

1	Building Inspector Land Officer	Deputy Commissioner	MINOR PENALITIES (i) Warning with a copy in the personal file	Executive Officer/ Secretary	Deputy Commissioner
3	Draftsman		(character role);	(Municipal Committee)/	
4	Assistant		(ii) Censure:(iii) withholding of	Secretary (Municipal	
5	Senior Scale		promotion;	Council)	
	Stenographer		(iv) recovery from pay of the		
6	Junior Scale Stenographer		whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach		
7	Driver.		of orders to the Central		

1	2	3	• 4	5	6
3	Garden Supervisor	•	Government or a State		
) .	Librarian		Government or to a		
			Company and association or a body of		
10	Light Inspector		individuals whether		
11.	Tax Inspector		incorporated or not,		
			which is wholly or		
			substantially owned or controlled by the		•
			Government or to a local		
			authority or university		
			set up by an Act of		
			Parliament or of the Legi slature of a State; and		
			(v) withholding of		
		•	increment of pay		
			without cumulative		
10	~ ·		effect;		
12.	Stand Traint				
13	Steno Typist				
14 15	Clerk Electrician				
15 16.	Tractor Driver				
10. 17	Patwari				
18	Peon				
19	Head Mali				
20	Mali-cum-Chowkidar				
21	Chowkidar				
1	Building Inspector	Deputy	MAJOR PENALTIES: (vi) withholding of increment of pay with	Deputy Commissioner	Director
2	Land Officer	Commissioner			
_					
5	Draftsman		cumulative effect;		
1	Assistant		(vii) reduction to a lower	•	
5	Senior Scale		stage in the time scale of pay for a specified		
	Stenographer	•	period, with further		
5	Junior Scale		directions as to whether		
	Stenographer		or not the Government employee will earn		
7	Driver	•	increments of pay during		
	•		the period of such		
	Garden Supervisor		reduction and whether on the expiry of such		
l	Librarian		period, the reduction		
0	Light Inspector		will or will not have the		
_			effect of postponing the future increments of his		
l.	Tax Inspector		pay;		

7011

	2	3	4	5	6
3	Steno Typist		(viii) reduction to a lower		
			scale of pay, grade, post		
	Clerk		or service which shall		
	Electricians		ordinarily be a bar to the		
	Liccuicians		promotion of the		
},	Tractor Driver		Government employee		
			to the time scale of pay,		
•	Patwari		grade, post or service		
3	Daon		from which he was		
•	Peon		reduced, with or without		
•	Head Mali		further directions		
			regarding conditions of		
)	Mali-cum-Chowkidar		restoration to the grade		
	Chamileidan		or post of service from		
	Chowkidar		which the Government		
			employee was reduced,		
			and his seniority and		
			pay on such restoration		
			to that grade, post or		
			service;		
			(ix) compulsory retirement;		
			(x) removal from service		
			which shall not be a		
			disqualification for		
			future employment		
			under the Government;		
			(xi) dismissal from service		
			which shall ordinarily be		
			a disqualification for		
			further employment		

under the Government.

APPENDIX D

[(See Rule (14)2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
		STATE LEVEL POSTS		
1.	Executive Engineer	(i) Reducing or with-		Government
2.	Executive Officer	holding the amount of ordering/additional	Secretary	
3.	Secretary (Municipal Council)	pension admissible under the rules		
4.	Secretary (Municipal Committee)	governing pension;		
5.	Municipal Engineer		e e	Administrative Secretary
6.	Assistant Town Planner	(ii) Terminating the appointment otherwise		
7.	Junior Engineer (Civil)	than on his attaining the age fixed for		
8.	Junior Engineer (Electrical)	superannuation.		
9.	Office Superintendent (Municipal Counc	cil)		
10.	Tax Superintendent (Municipal Council)			
11.	Tax Superintendent (Municipal Committ	ee)		
12.	Accountant			
13.	Chief Sanitary Inspector			
14.	Head Draftsman			

Appellate

Authority

Nature of order

Designation of posts

No.			empowered to make the order	authority
1	2	3	4	5
		DISTRICT LEVEL POSTS		
1.	Building Inspector	(i) Reducing or with-holding	Deputy	Director
2.	Land Officer	the amount of ordering/additional pension	Commissioner	
3.	Draftsman	admissible under the rules		
4 .	Assistant	governing pension.		
5.	Senior Scale Stenographer			
5.	Junior Scale Stenographer	(ii) Terminating the appointment otherwise than		
7.	Drivers	on his attaining the age fixed		
3 .	Garden Supervisor	for superannuation.		
9.	Librarian			
10.	Light Inspector			
11.	Tax Inspector			
12.	Sanitary Inspector			
13.	Steno-Typist			
17.	Clerk			
15.	Electrician			
16.	Tractor Driver			
17.	Patwari			
18.	Peon			
19.	Head Mali			
20.	Mali-cum-Chowkidar			
21.	Chcwkidar			

RAJ KUMAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.